आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 141/2026 अनवान ***राधा कलवानी व अन्य बनाम भीकसिंह के कायम मुकाम वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.04.26	वकील अपीलांट श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित। रेस्पो0सं0 1/1 से 1/3, 10, 11, 12 की ओर से श्री अनिल राठी एवं रेस्पो0सं0 8 की ओर से श्री किशोर सिंह राठौड ने अपने वकालतनामे प्रस्तुत किए, जो शामिल पत्रावली है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 32/2012 बअनवान भीकसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दौरान बहस वकील अपीलांट ने फार्म नं0 के संलग्न अपीलाधीन आदेश को लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 394/2017 बअनवान जेठाराम उर्फ जेठूसिंह बनाम भीखसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2024 की प्रति प्रस्तुत कर आग्रह किया कि उक्त अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2015 अपास्त कर दिया गया है। इसलिए हस्तगत अपील भी समान निर्णय से निर्णित कराने का आदेश फरमावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं अपीलाधीन	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश को लेकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व प्रस्तुत अन्य अपील में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2024 का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर दोनो ही अपील एक ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जाने से एक समान निर्णय से निर्णित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उक्त अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए, स्वीकार की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2015 अपास्त कर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.4.26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर